रजिस्ट्री सं० डी-222 REGISTERED No. D-222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 3] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 24, 1973 (फाल्गुन 5, 1894)
No. 3] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 24, 1973 (PHALGUNA 5, 1894)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग I—खण्ड 3
PART I—SECTION 3

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं
Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence

---

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 24 फरवरी 1973

संकल्प

सं० 4, दिनांक 30 जनवरी 1973-शुद्धिपत्र—भारत के राजपत्र दिनांक 19 अगस्त 1972 (28 श्रावण, 1894) के भाग प्रथम, अनुभाग तृतीय में हरियाणा राज्य की प्रादेशिक सेना के लिए राज्य सलाहकार समिति के पुनर्गठित के सम्बन्ध में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय के संकल्प 2389 दिनांक 4 अगस्त 1972 को निम्नलिखित रूप से संशोधित किया जाता है :—

(क) "उप सभापति" शीर्षक के नीचे

"श्री के० एल० पोसवाल, गृह मंत्री" के स्थान पर पढ़िए :—

"1. श्री के० एल० पोसवाल, गृह मंत्री (I)"

"2. कर्नल महा सिंह, परिवहन मंत्री (II)"

(ख) "गैर-सरकारी सदस्य" शीर्षक के नीचे

(i) क्रम संख्या 4 को निकाल दीजिए।

(ii) वर्तमान क्रम संख्या 5 से 8 के स्थान पर क्रम संख्या 4 से 7 तक पढ़िए।

वी० श्रीकान्तन, अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 24th February 1973

RESOLUTION

No. 4, dated 30th Jan. 1973-Corrigendum—Min. of Def. Resolution No. 2389, dated 4th Aug. 1972, published in the Gazette of India, Part I, Section 3, dated the 19th Aug. 1972 (28th Sravana, 1894) regarding reconstitution of the State Advisory Committee for Territorial Army in the State of Haryana is amended as under :—

(a) *Under the heading "DEPUTY CHAIRMAN"*

(i) *For* "Shri K. L. POSWAL, Home Minister" *Read* "1. Shri K. L. POSWAL, Home Minister (I)"

(ii) *Add* "2. Col. Maha Singh, Transport Minister (II)"

(b) *Under the heading "NON OFFICIAL MEMBERS"*

(i) Serial No. 4 may be *deleted*

(ii) The existing serial Nos. 5 to 8 may be re-numbered as serial Nos. 4 to 7.

V. SRIKANTAN, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973